

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1996]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 1996]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

का.आ. 2673(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल के अंतर्गत सोहागपुर (पूर्व) एवं सोहागपुर (पश्चिम) में स्थित मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सी.बी.एम. ब्लॉकों से, देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये, मेसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा शहडोल (मध्य प्रदेश)—जयसिंह नगर—बेउहारी—गुरह—फूलपुर (उत्तरप्रदेश) गैस पाइप लाइन बिछाई जाना चाहिए ;

और, भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के लिये उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री नागेन्द्र मिश्रा, रा.प्र. से., अपर कलेक्टर, रीवा और पदेन सक्षम प्राधिकारी, शहडोल—फूलपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मकान नं 589, वार्ड नंबर—15, लैण्ड मार्क होटल के पास, इलाहाबाद—रीवा हाइवे (एन.एच. 7), रीवा, —486001, मध्य प्रदेश राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील / मंडल / तालुक : त्योंथर	जिला / रीवा	राज्य : मध्य प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब डिवीजन सं.	आर० ओ०यू० अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि.एयर
1	2	3	4	5
1)) शंकरपुर कोठार	112*	00	07	55
	50*	00	05	50
2) बसहट	4*	01	00	00

* का.आ. 481(अ) दिनांक 17.02.2014 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल. -14014/7/2014-जी.पी.II (भाग)]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

S.O. 2673(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from the Sohagpur (East) and Sohagpur (West) CBM Blocks of M/s Reliance Industries Limited, situated under Shahdol District in Madhya Pradesh State, to consumers in various parts of the country, Shahdol (Madhya Pradesh) - Jaysing Nagar - Beohari- Gurh - Phulpur (Uttar Pradesh) Gas Pipeline should be laid by M/s Reliance Gas Pipelines Limited.

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the pipeline under the land to Shri Nagendra Mishra, S.A.S., Addl. Collector, Rewa and ex-officio Competent Authority, Shahdol- Phulpur Gas Pipeline Project, house no. 589, ward no. 15, Near Landmark Hotel, Allahabad - Rewa Highway (NH-7), Rewa-486001, Madhya Pradesh State.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/Taluk : Teonthar	District : Rewa	State : Madhya Pradesh		
Name of village	Survey No./Sub.Division	Area to be acquired for ROU		
		Hec	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Shankarpur Kothar	112*	00	07	55
	50*	00	05	50
2) Bashat	4*	01	00	00

*Additional Area to 3(1) Notification S.O. 481(E) dated 17.02.2014

[F. No. L-14014/7/2014-GP-II (Pt.)]

S. P. AGARWAL, Under Secy.